

(अनुच्छेद 19(1)(d))

सिद्धाधीन कर्मचारी प्रजाप  
कर्मचारी कानूनमधील प्रमाणित  
महामंडळ, कापडाजीव

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर  
आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : 32/2020

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : डॉ. सुसुफ स्वतः उप. जे. डी. विद्यावाचस्पति

CGRERA-P-Exc-m. 2020-01072

आदेश कार्यवाही की  
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि  
के हस्ताक्षर

समय दिया गया।

आवेदन  
प्रकरण राजीनामा पेश करने हेतु

02/03/21 - 2-3-2021

(दीपा कदारे)

न्याय निर्णायक अधिकारी  
:-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर

02/03/21

प्रकरण V.C के माध्यम से सुनवाई में  
लिया गया।

आवेदन सुसुफ स्वतः उप।

अनावेदन द्वारा श्री शुक्ला आदि

उक्त पक्षों ने आवेदन पेश कर निवेदन  
दिया कि श्री प्राधिकरण के आदेश के पालन  
में निर्देशित राशी आवेदक को प्रदान कर दी गई  
है एवं आवेदन ने अनावेदन के पक्ष में विद्यमान विवेक  
निष्पादित कर दिया गया है। अतः उप निष्पादन  
प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जावे।

आवेदन 1954 RERA Act-का

अवलोकन किया गया। आवेदन द्वारा आवेदित  
राशी दिलाए जाने की प्राथमिक अपेक्षा  
आवेदन में की थी। उक्त राशी उक्त प्रकरण  
की जायगी एवं आवेदित विद्यमान गैर-  
निष्पादित उक्त पक्ष के पक्ष में पुनः है

(4)

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर  
आदेश पत्रिका

(दीपा कटारे)  
न्याय निर्णायक अधिकारी  
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर

प्रकरण क्रमांक : 32/2020

प्रकरण दर्ज दिनांक

आवेदक : श्री अशोक शंकर उड्डा गौरी विठ्ठल गौरी उड्डा

CGRERA-P-Exec.M.PRO-2020-01072

आदेश कार्यवाही की  
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि  
के हस्ताक्षर

अभियुक्तों द्वारा Sale deed की कॉपी अपने  
आवेदन के पथ पर प्रेषित है।

विषयगत आवेदन में उल्लेखित राशि का  
अनुमान आवेदन को किया जा चुका है एवं  
प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं है। अतः  
प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

परमाणु दर्ज कर नियत कार्यवाही  
के अन्तर्गत अभिलेखागार में नया भूमापक

(दीपा कटारे)  
न्याय निर्णायक अधिकारी  
भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण  
छत्तीसगढ़, रायपुर